न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 85/2019

1. मूलचन्द सैनी पुत्र स्व. प्रभात जाति माली उम्र 56 साल निवासी ढ़ाणी चन्द्रावाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– वादी

बनाम

1. नरसी पुत्र स्व. प्रभात उम्र 52 साल
2. सुवा पत्नी स्व. प्रभात उम्र 75 साल
   समस्त जाति माली निवासी ढ़ाणी चन्द्रावाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित – श्री दीपक बाजिया वकील वादी

निर्णय

दिनांक –19.10.20

संक्षेप में वाद वादी इस प्रकार है कि ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला स्थित भूमि खसरा नंबर 1543, 1544, 1546, 1547, 1567, 1568, 1569 कुल किता 7 कुल रकबा 2.08 है., में हिस्सा 1/9 की खातेदारी मुरली पुत्र प्रभात जाति माली के नाम दर्ज है जबकि खातेदार वादी का वास्तविक नाम मूलचन्द पुत्र प्रभात है। वादी के समस्त दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, घरेलु विद्युत कनेक्शन बिल आदि में वादी का नाम मूलचन्द पुत्र प्रभात ही दर्ज है परन्तु विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय वादी का नाम घर के

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2020.10.26 12:11:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

वालते नाम मुरली पुत्र प्रभात वादग्रस्त आराजी में दर्ज हो गया। राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं में परेशानी होने तथा प्रतिवादी को नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन करने पर न्यायालय से वाद दायर कर आदेश लाने हेतु कहने पर वाद अन्दर न्यायालय क्षेत्र पैदा हुआ है। अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मुरली पुत्र प्रभात के स्थान पर मूलचन्द पुत्र प्रभात घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश प्रदान किया जावे।

वादी का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पटवारी हल्का की रिपोर्ट बाद तस्दीक पेश हुयी। वादी ने वाद के समर्थन में मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया। बहस वकील वादी सुनी गयी।

बहस वकील वादी सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, रिपोर्ट पटवारी एवं तहसीलदार, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी में मुरली पुत्र प्रभात सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। वादी का कथन कि वादी का वास्तविक नाम मूलचन्द पुत्र प्रभात है एवं राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से मुरली पुत्र प्रभात दर्ज कर दिया है। वादी ने अपने इस कथन के समर्थन में परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी तथा भामाशाह कार्ड प्रस्तुत किया है जिसमें वादी का नाम मूलचन्द पुत्र प्रभात दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी एवं पत्र क्रमांक भूअ/2020/666 दिनांक 16.03.2020 कार्यालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर में भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि मुरली पुत्र प्रभात व मूलचन्द पुत्र प्रभात अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं एवं मुरली पुत्र प्रभात के स्थान पर मूलचन्द पुत्र प्रभात करने की अभिशंषा की है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, साक्ष्य, दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वाद वादी बाबत् घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2020.10.26 12:11:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम दिवराला स्थित भूमि खसरा नंबर 1543, 1544, 1546, 1547, 1567, 1568, 1569 कुल किता 7 कुल रकबा 2.08 है., में **मुरली पुत्र प्रभात हिस्सा 1/9** के स्थान पर **मूलचन्द पुत्र प्रभात हिस्सा 1/9** दर्ज कर कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (बृजेश कुमार फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
सहायक कलक्टर
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bresh Kumar
Date: 2020.10.26 12:11:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner